Phone And Fax No. 01437-227332
Email : incharge.arss.diggi@sknau.ac.in

AGRICULTURAL RESEARCH SUB STATION

(SKN Agriculture University Jobner)
DIGGI-TONK (Raj.) 304504

No.F()/ARSS/Diggi/2025-26/ 103-108 Date:16.06.2025

खुली निविदा सूचना

इस केन्द्र पर हिस्सा आधारित खेती की निविदाएं दिनांक 26.06.2025 सांय 3 बजें तक आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र इस कार्यालय से रू0 500/– नकद जमा करवाकर प्राप्त किया जा सकता है एवं इसे वेबसाइट sppp.rajasthan.gov.in व www.sknau.ac.in पर देखा जा सकता है निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

प्रभारी अधिकारी

प्रतिलिपी सूचनार्थ

1. श्रीमान निदेशक, RARI/संयोजक TAP समिति RARI, दुर्गापुरा।
2. श्रीमान वित नियंत्रक, SKNAU, जोबनेर को भेजकर निवेदन है की नियत दिनांक 27.06.2025 को 11 बजे अपना प्रतिनिधि RARI, दुर्गापुरा भेजने का श्रम करे।
3. श्रीमान प्रभारी, CIMCA, SKNAU, जोबनेर को भेजकर निवेदन है की इस निविदा को sppp.rajasthan.gov.in एवं www.sknau.ac.in पर अपलोड करवाने का श्रम करे।
4. श्रीमान कार्यकारी निदेशक, राजस्थान संवाद को भेजकर लेख है की इस निविदा को 8*6 साइज के कालम में समाचार पत्र में विज्ञापित करवाने का श्रम करे।
5. कार्यालय सूचना पट्ट।
6. टेण्डर फाइल।

प्रभारी अधिकारी

(1)

कृषि अनुसंधान उप केन्द्र डिग्गी (टोंक)

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय)

NO.F( ) / Tender / ARSS/ Diggi /2025-26/103-108 date 16-06-2025

हिस्सा आधारित खेती की निविदा सूचना।

कृषि अनुसंधान उपकेन्द्र डिग्गी द्वारा हिस्सा आधारित खेती हेतु निविदाएँ निम्न विवरणानुसार आमंत्रित की जाती है:–

क्र. सं.	विवरण	अवधि	बोली प्रतिभूति (bid security) (₹)	निविदा शुल्क (₹)	निविदा प्रपत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि समय एवं स्थान
1.	हिस्सा आधारित खेती	खरीफ 2025 व रबी 2025–26	10000	500	26.06.2025 सायं 3 बजे तक	27.06.2025 दोप. 11 बजे निदेशक राज़ कृषि अनुसंधान संस्थाऩ दुर्गापुरा जयपुर

निविदा प्रपत्र एवं बोली प्रतिभूति (bid security) के रू 10000 /– डी.डी./बैंकर चैक प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, डिग्गी (टोंक) के कार्यालय में दिनांक 26.06.2025 समय सायं 3 बजे तक भौतिक रूप से (Physically) प्रस्तुत करने होगें ।

प्रभारी अधिकारी

(2)

कृषि अनुसंधान उप केन्द्र डिग्गी (टोंक)
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय)

निविदा प्रपत्र 'अ'

1- निविदा सूचना – NO.F( ) / Tender / ARSS/ Diggi /2025-26/103-108 ~~दिनांक~~ 16-06-2025

2. निविदादाता का नाम ....

3. निविदादाता का पता..

....

....

....

4. निविदादाता का आधार संख्या / पहचान संख्या..

5. निविदादाता का मोबाईल नम्बर..

6. प्रभारी अधिकारी कृषि अनुसांधान उप केन्द्र डिग्गी के पक्ष में देय बोली प्रतिभूति राशि (बिड सिक्यूरिटी) रू 10000 का डी0डी0 / बेकर चैक संख्या...दिनांक....................

7. निविदा प्रपत्र कय की रसीद नं...दिनांक ....

निविदादाता के हस्ताक्षर

Officer Incharge
A R S S Diggi
(Tonk-Raj.)

कृषि अनुसंधान उप केन्द्र डिग्गी (टोंक) (3)

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय)

NO.F( ) / Tender / ARSS/ Diggi /2025-26/ 103-108 **date 16-06-2025**

निविदा की शर्ते

1. निविदा प्रपत्र एवं **बोली प्रतिभूति (Bid Security) रू. 10000/–**का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक, प्रभारी अधीकारी कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, डिग्गी (टोंक) के पक्ष में देय भौतिक रूप (Physically) से प्रभारी अधीकारी कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, डिग्गी (टोंक) के कार्यालय में जमा करवाना होगा– इसके अभाव में निविदा प्रपत्र रद्द कर दिया जाएगा।
2. सफल निविदादाता को कार्य सम्पादन प्रतिभूति **(Performance Security)** रूपये 25000/–, जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंक पे–आर्डर प्रभारी अधीकारी कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, डिग्गी (टोंक) के नाम डिग्गी में भुगतान योग्य हो, जमा करानी होगी। पूर्व में बोली प्रतिभूति **(bid Security)** के रूप में जमा राशि समायोजित की जा सकेगी। यह कार्य सम्पादन प्रतिभूति निविदादाता द्वारा कार्यादेश में वांछित अवधि समाप्त होने पर तथा समस्त कार्य संतोषजनक पूर्ण करने पर ही लौटाई जा सकेगी अन्यथा कि स्थिति में यह पूर्ण रूप से जब्त की जा सकेगी।
3. सफल निविदादाता को निर्धारित प्रारूप के अनुसार नियमानुसार निर्धारित राशि रू0 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर एक अनुबंध पत्र सम्पादित करना होगा जिसका व्यय निविदादाता को वहन करना होगा। दोनो पक्षो को उक्त अनुबंध पत्र की प्रत्येक शर्त का अक्षरशः पालन करना होगा। यदि निविदादाता उक्त शर्तों का उल्लघंन करता है तो अनुबंध किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जाएगा।
4. बोली प्रतिभूति (बिड सिक्यूरिटी) व कार्य सम्पादन प्रतिभूति **(Performance Security)** पर कोई ब्याज देय नही होगा।
5. निविदादाता या श्रमिक की फार्म पर कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर केन्द्र की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
6. अगर निविदादाता अपना कार्य निश्चित अवधि के बीच में छोडता है या कार्य संतोषजनक नही करता है या समय पर कार्य सम्पादित नही करता है। तो 3 दिवस के नोटिस पर अनुबन्ध निरस्त कर व कार्य सम्पादन प्रतिभूति **(Performance Security)** जब्त कर ली जाएगी व किये गये कार्य का भुगतान भी नही किया जाएगा।
7. सभी कार्य समय पर, कार्यालय समय में प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार ही करवाने होगे। तथा सारा श्रमिक व्यय एवं औजारो आदि की व्यवस्था निविदादाता को करनी होगी।
8. निविदादाता को पाइप, फब्वारे, बेंड, टी, डाट, तीरपाल, घमला आदि सामान गिनकर लिखित रूप में प्राप्त करने होगें तथा कार्य समाप्त होने तक सारी जिम्मेदारी उसकी

Officer Incharge
A R S S Diggi
(Tonk-Raj.)

स्वयं की होगी एवं उतनी ही संख्या में गिनकर ही लौटाने होगें। नहीं लोटाने पर इनकी कीमत चुकानी पड़ेगी।

9. कार्यालय द्वारा किसी भी प्रकार की अग्रीम राशि देय नही होगी।
10. निविदादाता के श्रमिक द्वारा किसी प्रकार की हानि पहूँचाने पर नुकसान की वसूली निविदादाता से की जाऐगी।
11. इस अनुबन्ध की अवधि खरीफ 2025 व रबी 2025–26 के लिए होगी। जो परस्पर सहमति से एक वर्ष बढाई जा सकती है।
12. खरीफ में लगभग 12 हेक्टर (मुंग, उडद, ज्वार, बाजरा, तिल, ढेंचा,) व रबी में लगभग 35 हेक्टर (गेहू, जौ, चना, सरसो, तारामीरा, धनिया, मेथी, आदि) की बुवाई सम्भावित है, जो कि निर्देशानुसार बढाई व घटाई जा सकती है।
13. बुवाई से लेकर फसल थ्रेसिंग एवं गोदाम तक तोलकर रखवाने तक की प्रक्रिया में लगने वाले श्रमिक व्यय निविदादाता को ही वहन करने होंगें। जिसमें पलेवा करना, बुवाई में सहयोग करना, सिचाई करना, निराई–गुडाई करना, खरपतवार नाशी, किटनाशी, फफुंदनाशी व उर्वरकों का छिडकावं करना, फसल की कटाई करना, एकत्रित करके थ्रेसिंग करना, बोरिया भरना, व तोलकर गोदाम में रखकर थप्पी लगाना, इत्यादि कार्य निविदादाता को करने होगें।
14. ट्रेक्टर सम्बन्धी सभी कृषि कार्य (डिस्क प्लाव, हेरो, कल्टीवेटर, कुली, सीड ड्रिल द्वारा बुवाई, फर्टीलाईजर ड्रिलिंग आदि) की व्यवस्था केन्द्र द्वारा ही की जावेगी तथा इनसे सम्बन्धित डिजल खर्च में निविदादाता का कोई योगदान नहीं रहेगा।
15. कृषि आदान (बीज, खाद, उर्वरक, विडिसाइड, फंफूदनाशक, कीटनाशक, कल्चर आदि) की आपूर्ति केन्द्र द्वारा ही की जायेगी व प्रति हैक्टर प्रभारी अधिकारी की सिफारिश के अलावा देय नहीं होगी।
16. रोगिगं कार्य में फसल की किस्म के अवांछनीय पौधे फसल से हटाने पर निविदादाता मना नही कर सकेगा। तथा रोगिगं कार्य केन्द्र द्वारा करवाया जाएगा।
17. फसल कटाई के मामलों में कटी हुई फसलों को कहां इक्कठा करना है व कितने ढ़ेर बनाने हैं इसके लिए फार्म मैनेजर व प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार ही कार्य करना होगा।
18. निराई गुड़ाई, कटाई, थ्रेसिंग तथा अन्य सम्बन्धित कार्य मौसम की स्थिति को देखते हुये निविदादाता को करने होगें। प्रतिकूल मौसम होने पर उक्त कार्य रोके जाने का अधिकार फार्म मैनेजर, फार्म इन्चार्ज व प्रभारी अधिकारी को होगा ।
19. थ्रेसिंग में लगे थ्रेसर, ट्रेक्टर डिजल व श्रमिक का खर्चा स्वयं निविदादाता द्वारा वहन करना होगा तथा थ्रेसिंग कार्य कार्यालय समय में ही होगा।
20. थ्रेसिंग के बाद उत्पादन को खलिहान से गोदाम तक लाने के लिए ट्रेक्टर ट्रोली उपलब्ध करवा दी जावेगी ।
21. फसल की थ्रेसिंग के पश्चात माल को बोरियों में भरकर, तोलकर प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार गोदाम में बोरियों की धांग निविदादाता को लगानी होगी। वजन तोलते समय नमीं एव कचरा का 2 प्रतिशत काटा जावेगा।
22. ईजंन व ओपन वेल मोटर ओपरेशन निविदादाता को ही करना होगा
23. विद्युत बिल का भुगतान व ईजन का डीजल केन्द्र द्वारा वहन किया जायेगा।

Officer Incharge
A R S S Diggi
(Tonk-Raj.)

(5)

24. आवास की व्यवस्था निविदादाता को ही करनी होगी। कार्यालय द्वारा कोई सुविधा देय नहीं होगी।
25. फार्म की फसलों की रखवाली दिन–रात को निविदादाता द्वारा की जावेगी। केन्द्र जिम्मेदार नहीं होगा।
26. निविदादाता को दिया जाने वाला उपज का हिस्सा रूपये के रूप में दिया जाऐगा, जो कि सभी फसलो की उपज जमा करवाने की दिनांक से 7 दिवस पहले एवं 7 दिवस बाद तक कृषि उपज मण्डी मालपुरा के औसत भाव के आधार पर उसके हिस्से की उपज का चेक द्वारा भुगतान किया जाऐगा। जो उपज बीज के योग्य नही होगी उसे हिस्सेदारी के अनुसार बाट दिया जायेगा। निविदादाता को उसके हिस्से का चारा दिया जायेगा। व्यवसायिक उत्पादन में निविदादाता को दाना व चारें का हिस्सा दिया जायेगा।
27. मौसम या अन्य कारणों से अगर फसल खराब होती है, तो निविदादाता को श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान नही किया जाएगा।
28. निविदादाता द्वारा उत्पादन भण्डार में रखनें के अधिकतम एक माह में हिस्सा की उपज का भुगतान अदा कर दिया जाएगा।
29. निविदादाता की कोई शर्त मान्य नहीं होगी।
30. निविदादाता या उसके श्रमिक केन्द्र के फार्म पर मदिरा व अन्य नशा सामग्री का उपयोग नहीं करेंगें, तथा कोई भी अवान्छनीय गतिविधि नही करेंगें।
31. निविदादाता द्वारा प्रपत्र ब में दी गई हिस्सा प्रतिशत बातचीत **(Negotiation)** /बिना बातचीत स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार केन्द्र को होगा।
32. यदि वाद उत्पन होने की स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायालय क्षेत्र मालपुरा, टोक (राज0) होगा।
33. निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ आधार कार्ड या पहचान पत्र की प्रतिलिपी संलग्न करनी होगी।
34. निविदादाता को निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करनें होगें, जिससे यह माना जाएगा की उसने प्रत्येक शर्त पढ व समझ ली है, तथा व उनसे पूर्ण रूप से सहमत है।

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तो का सावधानी पूर्वक परिशीलन कर लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त सभी शर्तो से प्रतिबन्धित रहूँगा/रहेंगे।

Officer Incharge
A R S S Diggi
(Tonk-Raj.)

निविदादाता के हस्ताक्षर

(6)

कृषि अनुसंधान उप केन्द्र डिग्गी–टोंक
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय)

निविदा सूचना– NO.F( ) / Tender / ARSS/ Diggi /2025-26/ 103-108 date 16-06-2025

निविदा प्रपत्र ब

मैं हिस्सा आधारित खेती के कार्यो को पूरा करने के लिए निम्नलिखित हिस्सा प्रतिशत प्रस्तुत कर रहा हूँ

	फसल	हिस्सेदारी	प्रतिशत
खरीफ 2025	मूंग,उडद ज्वार, बाजरा तिल ढेचा	निविदादाता द्वारा रखा जाने वाला दाना का हिस्सा	
		निविदादाता द्वारा रखा जाने वाला चारा का हिस्सा	
रबी 2025–26	जौ, गेहूँ चना सरसों, तारामीरा मैथी, धनिया	निविदादाता द्वारा रखा जाने वाला दाना का हिस्सा	
		निविदादाता द्वारा रखा जाने वाला चारा का हिस्सा	

Officer Incharge
A R S S Diggi
(Tonk-Raj.)

निविदादाता के हस्ताक्षर